भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन	:	36,29,842.00 रुपये।
स्टाम्प पेपर	:	2,54,100.00 रुपये।

मैं कि मंघाराम पुत्र हरवंश निवासीग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (फरीक अव्वल, विक्रेता)।

मैसर्स उप्पल चढ्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा भिजेष बिश्ट पुत्र श्री डी0एस0 बिश्ट 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम / क्रेता)।

विक्रय पत्र

[illegible] 3,619,842.00 10,000.00 20 10,020.00 1,000

स्टाम्प शुल्क | अतिरिक्त प्रति शुल्क | योग | [illegible]

मैसर्स [illegible] हाईटेक [illegible] प्रा0लि0 द्वारा रितेश मिश्र

[illegible] 15/12/2014 [illegible] 2:2 PM

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

~~ओ0 पी0 सिंह~~
उप निबन्धक दादरी
दादरी
15/12/2014

[illegible]

श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा अन्य
निवासी दुरियाई तह0 दादरी जि0 गौ0बु0नगर

मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा रितेश मिश्र
पुत्र श्री डी0एन0 मिश्र
पेशा अन्य
निवासी न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी नई दिल्ली

[illegible]
[illegible] अमन
पुत्र श्री जयपाल
पेशा अन्य
निवासी दुरियाई तह0 दादरी जिला गौ0बु0नगर

[illegible] सत्यवीर
पुत्र श्री कृष्णपाल
पेशा अन्य
निवासी दुरियाई तह0 दादरी जिला गौ0बु0नगर

[illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

~~ओ0 पी0 सिंह~~
उप निबन्धक दादरी
दादरी
15/12/2014

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0), कृषि भूमि खाता नं0 374 के खसरा नं0 153/2 रकबा 0.2950 हैक्टे0 के पूर्ण भाग में से 0.2530 हैक्टे0 प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतौनी 1417--1422 फसली जिसका फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का बैनामा हाजा में विक्रय किया जा रहा है।

Book No

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25

Rs.

पच्चीस

TWENT

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 1,25,00,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200 प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन *36,29,842/-* रूपये (छत्तीस लाख उनतीस हजार आठ सौ बयालीस रूपये मात्र) में तय है और सरकारी स्टाम्प क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(३) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आष्य का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निश्क्रान्ति व षत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

कोषागार गौतम बुद्ध नगर

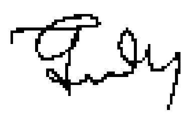

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कही अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्धसरकारी व निजी रुप आदि मैं ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

या अन्य किसी प्रकार का डयूज है। इस विक्रय भूमि से संबधित किसी भी प्रकार का विवाद–ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय में कोई दोश व त्रुटी नही है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखत भूमि के संबध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9

पंजीकृत, पूर्व में न तो निश्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविश्य में इस संबध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निश्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होगें।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र में वर्णित चमत खाता नं0 374 के खसरा नं0 53/2 रकबा 0.2960 हैक्टे0 के पूर्ण भाग में से 0.2530 हैक्टे0 स्थित ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील व जिला गौतमबुद्ध नगर के अपने हिस्से पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

काश्त एंव अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बएजामंदी,शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकार मालिकाना,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN [illegible]58407

काबिजाना, दाखिली–खारिजी, काश्त भराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशी अंकन *36,29,842/–* रुपये (छत्तीस लाख उनतीस हजार आठ सौ बयालीस रुपये मात्र) जिसके आधे

★ कोषागार ★

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अंकन 18,14,921/-(अठारह लाख चौदह हजार नौ सौ इक्कीस रुपये मात्र) होते है, के एवज मे बहाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली पैन नंबर AAACU7200M द्वारा विजेय बिस्ट पुत्र श्री डी0एस0 बिस्ट 33, कम्यूनिटी

किया गया।
रोकड़िया
कोषागार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सैंटर न्यू फ्रेन्ड्स कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी को बैय कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नही रही है।

किया गया: .... में शामिल

2013

रजिस्ट्रार

उपनिबन्धक गौतम बुद्ध नगर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग में लावें।

में शामिल
किया गया

1013

रोकड़बही
* कोषागार गौतम बुद्ध नगर *

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(५) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बावत समस्त कागजात मे बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात मे कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वंय दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते है, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

..... में शामिल किया गया।

2013

उपनिबंधक

कोषागार गौतम बुद्ध नगर *

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

में शामिल
किया गया.
2013
कोषागार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला ओर निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना

किया गया।
2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कार्यालय कोषागार
2 1 MAY 2015
वरिष्ठ कोषाधिकारी
गौतम बुद्ध नगर

पडा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा कोई अंष क्रेता या उसके

किया गया

सत्यापित

...PVT. LTD.

...New Delhi

कार्यालय कोषागार
21 MAY 2013
वरिष्ठ कोषाधिकारी
गौतम बुद्ध नगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे

PVT. LTD.
New Delhi

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जिम्मेदार होगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन्न व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जाने वाली भूमि की धनराषी को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसानकी चल व अचल सम्परित से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है

में शामिल किया गया।

[illegible]

उप कोषागार [illegible]

[illegible] DEVELOPERS PVT. LTD

[illegible] New Delhi

कार्यालय कोषागार
21 MAY 2013
वरिष्ठ कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।
(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

PVT. LTD.
New Delhi

कार्यालय कोषागार
21 MAY 2013
वरिष्ठ कोषा...
गौतम बुद्ध

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

[illegible] S PVT. LTD.
[illegible] New Delhi

कार्यालय कोषागार
21 MAY 2013
वरिष्ठ कोषाधिकारी
गौतम बुद्ध

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.2530 हैक्टेयर, खाता नं0 374 के खसरा नं0 163/2 स्थित ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:-

जिला

कार्यालय कोषागार
21 MAY 2013
वरिष्ठ कोषाधिकारी
गौतम बुद्ध नगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(15) यस बैंक लि0 नई दिल्ली चैक नंबर 602553 अंकन 29,30,242/– रूपये (उनतीस लाख तीस हजार दो सौ बयालीस रूपये मात्र) दिनांकित 20.01.2014व अंकन 6,99,600/– रू0 (छ लाख निनयानवें हजार छ सौ रूपये मात्र) नगद फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

किया गया।

रोकड़िया

★ कोषागार गौतम बुद्ध नगर ★

कार्यालय कोषागार
15/2013
वरिष्ठ कोषाधिकारी गौतम बुद्ध नगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(हस्ताक्षर / निषानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर / निषानी अंगूठा)
फरीक दोयम (क्रेता)

गवाह नं0 1 अमन सिंह पु० श्री जयपाल सिंह
नि. दुरियाई दादरी

गवाह नं0 2 रामवीर पु० श्री स्व० कुशलपाल सिंह
नि. दुरियाई दादरी

तहरीर दिनांक– 15 / 01 / 2014 मसौदाकर्ता– शिवराज सिंह नागर एडवोकेट तहसील दादरी जिला– गौतमबुद्धनगर

[illegible]

दादरी बार एसोसिएशन, गौतमबुद्धनगर
कल्याण कोष
क्रम सं0 178
नाम प्रस्तुत कर्ता

[illegible] 15/01/2014 को

[illegible] 1 [illegible] 6408

[illegible] 209 [illegible] 236 [illegible] 722

[illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ओ0 पी0 सिंह
उप निबन्धक दादरी
दादरी
[illegible] 2014

पचास

रु. 50

FIFTY RUPEES

RS.50

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4S 503798

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 15-1-14 स्थान .... में श्री.................. .... पुत्र/पति.................. निवासी ग्राम.................. .... परगना.................. तहसील .... व जिला ....

प्रथम पक्ष

एवं

मै० .... पंजीकृत कार्यालय 33 कम्यूनिटी सेंटर, न्यू फ्रेंडस कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा .... पुत्र.................. ....

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम.................. परगना व तहसील..................जिला. .... में स्थित भूमि खत्ता सं0.................. खसरा सं.................. .... कुल रकबा .... हैक्टेयर (अपने सम्पूर्ण भाग) का संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि मे किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नही है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोइ अन्य पारिवारिक वाद विवाद या कोई केस नही चल रहा है।

विक्रेता

दादरी, गौतमबुद्धनगर

पचास रुपये रु. 50

FIFTY RUPEES Rs. 50

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्जे सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक .... को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार .... कार्यालय में बही सं0 .... के पुस्तक सं0............... पृष्ठ.................... पर क्रम सं0 ....पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरुप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर .... रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से रु0................/– द्वारा चैक नं. .... दिनांक .... बैंक.................... द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरुप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन......................... रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोश लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लाट की एवज मे प्राप्त होने वाली धनराशि रु. .... प्रति वर्गमीटर के हिसाब से निर्धारित धनराशि........................... दोनों पक्षों को मान्य है।

[illegible]
[illegible] 50
[illegible] ता
[illegible] 31-3-2014
तहसील [illegible] दादरी, गौतमबुद्धनगर

2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।

3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नही रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।

4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भवि य में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नही होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष क होगें। इन अधिकारो के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु.......................... द्वारा चैक सं0 .... दिनांक........................ बैंक .... से प्राप्त कर लिये है।

5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरुप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नही होगा।

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भवि य में काम आवे।

प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष

गवाह नं0 1.

गवाह नं0 2.

पचास

RS. 50

FIFTY RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

समझौता पत्र

मैंकि ....नारायण........पुत्र/पति........हरलाल........
निवासी........डुण्डाई........
.........।

प्रथम पक्ष

एवम

मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0, 33, कम्यूनिटीसेंटर, न्यू फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली द्वारा........पुत्र श्री........ अधिकृतहस्ताक्षरी

द्वितीय पक्ष।

विदित हो कि प्रथम पक्ष ने अपनी भूमि स्थित ग्राम........डुण्डाई........परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद। का खाता सं0........374........के खसरा नं0........153/2........रकबा........0.2530........हैक्टे0 का बैनामा द्वितीय पक्ष के पक्ष में कर रहा है। उक्त बैनामें में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष की सहमति से आबादी के लिये रकबा........हैक्टे0 छोड के बैनामा किया गया है उक्त छोडे गये रकबे के सम्बन्ध में दोनो पक्षों की सहमति से यह समझौता पत्र निश्पादित किया जा रहा है जिसकी शर्तेनिम्नहै।

1. यह कि बैनामें में आबादी के लिये छोड़ा गया रकबा दोनो पक्षों को मान्य है।

2. यह कि द्वितीय पक्ष भविश्य मेंआबादी के लिये छोडे गये रकबे के बदले में प्रथम पक्ष को अपनी योजना क्षेत्र में क ही भी आबादी दे सकता है प्रथम पक्ष को मान्य होगा।

नारायण

[illegible] ....

....50...

[illegible]

[illegible] ......

[illegible] दादरी, गौतमबुद्धनगर

पचास

FIFTY RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

3. यह कि आबादी के लिये बैनामें में छोडे के रकबे और मौके पर दिये जाने वाले रकबे में यदि कोई अंतर होगा तो उसका मूल्यांकन आज के मूल्य के अनुसार दोनो पक्षों को मान्य होगा।

4. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा भविश्य में प्रथम पक्ष का आबादी के लिये जो रकबा दिया जायेगा उसके अन्तरण के लिये होने वाली EXCHANGE DEED या किसी प्रकार के दस्तावेज को निश्पादित करने के लिये प्रथम पक्ष बाध्य होगा। यदि प्रथम पक्ष द्वारा उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने में कोई हिलाहवाली की जाती है तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत उक्त बैनामा निश्पादित करा लें।

5. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उक्त बैनामें में छोडे गये रकबे के बदले में जो आबादी दी जानी है उसके लिये कोई समय सीमानिर्धारित नही है। यह पूर्णतः द्वितीय पक्ष के उपर निर्भर करता है। प्रथम पक्ष को कोई एतराज नही होगा।

6. यह कि उक्त समझौता पत्र की समस्त शर्ते दोनो पक्षों को मान्य होगी इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल करने का अधिकार किसी पक्ष को नही होगा।

अतः एव यह समझौता पत्र समस्त गवाहन लिख दिया ताकि सनद रहे और भविश्य में काम आवें।

प्रथम पक्ष—　　　　　　　　　　द्वितीय पक्ष—

गवाह नं01　　　　　　　　　　गवाह नं0 2

दिनांक – 15/01/2014 तहसील कम्पाउन्ड, दादरी।

क्र० [illegible]

5रू०

दयाचन्द [illegible] लिपिक दिनांक

सत्र 18/90-11 [illegible] अवधि 31-3-2014

तहसील परिषद दादरी, गौतमबुद्धनगर

शपथ पत्र

मैं [illegible] पुत्र [illegible] निवासी [illegible] तहसील [illegible] जनपद [illegible] शपथपूर्वक घोशणा करता हूँ कि:

1. खाता सं0 374 खसरा सं0 153/1 रकबई 0.2530 स्थितग्राम [illegible] तहसील [illegible] व जनपद [illegible] का संकमणीय भूमिधर हूँ। इस भूमि पर मेरा कब्जा है मैं इस भूमि का विक्रय स्वेच्छा से कर रहा हूँ।

2. इस भूमि पर मालिकानाहक के सम्बन्ध में कोई वाद किसी भी न्यायालय में लम्बित नही है।

3. इस भूमि पर किसी भी बैंक का या अन्य कोई लोन षेश नही है। इस भूमि को कहीं पर रहन/गिरवी नहीं रखा गया है।

4. बैनामा होने पर इस भूमि का कब्जा क्रेता कम्पनी को करा दूंगा। कब्जे को लेकर भविश्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं करूंगा और न ही कोई अनाधिकृत जैसे प्लाट की मांग, अबादी छुडवानें या किसी प्रकार अन्य मुआवजे आदि की मांग करूंगा।

शपथकर्ता

क्रमांक ... 26 ... दिनांक [illegible]

[illegible] ... मैं0 [illegible] हाईटैक [illegible]

[illegible] ... 90

[illegible] विक्रेता

[illegible]

[illegible] परिषद दादरी, गौतमबुद्धनगर